

**OFFICE OF THE
SUPERINTENDING ENGINEER,
ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE AMROHA
PASCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.**



E-TENDER NO. 58/2023-24/EDC AMROHA

NAME OF THE WORK : Providing 01 No. Light Diesel make Vehicle with driver for E.E. EDD-I Gajraula and 03 Nos. Light Diesel make Vehicle with Driver for SDO Gajraula, SDO Dhanaura and SDO Bachraun.

Issued By:
Office of The
Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle, Amroha(U.P)
Phone No.-9193300500

Date of Closing : 24.02.2024 13:00 P.M.
Date of Opening : 24.02.2024 14:00 P.M.
Tender Cost : Rs 3540.00 (3000.00 Tender Fees +540.00 GST)
E.M.D : Rs 10600.00 (रु० दस हजार छः सौ मात्र)

AGREEMENT

To,

**Superintending Engineer,
Electricity Distribution Circle
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd
Amroha.**

Dear Sir,

I/ We here by transferred Tender Fees Rs..... Rupees.....
by RTGS/NEFT, transaction ID/U.T.R. No.....
Dated..... and EMD Rs..... Rupees.....
.....) by RTGS/ NEFT, transaction ID/U.T.R. No.....
Dated..... in your bank account no.- **88212200020492**, Canara Bank, Kundan
Sugar Mill, Joya Road Amroha, IFSC-**CNRB0018589** in the name of Superintending
Engineer, EDC Amroha against E-Tender Specification No. 58/2023-24/EDC AMROHA
till date 24.02.2024.

I hereby agree to the condition that the proposal in response to the invitation shall not be withdrawn within three months from the date of opening of the tender, also to the condition that if I withdraws my proposal within said period, the earnest money deposited by me may be forfeited to the Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Meerut on the discretion.

Yours faithfully

**Signature of Bidder/Contractor
With seal**



ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE, AMROHA

E-TENDER NO.58/2023-24/EDC AMROHA

SCOPE OF WORK

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम गजरौला एवं उपखण्ड अधिकारी—गजरौला, उपखण्ड अधिकारी—बछरायू एवं उपखण्ड अधिकारी—धनौरा अमरोहा के प्रयोगार्थ हेतु 04 नं० डीजल चालित वाहन मय चालक के वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उपलब्ध कराना वाहन 03 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये, वाहन में केवल डीजल विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। वाहन को चालक सहित प्रतिदिन 24 घण्टे उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन अथवा चालक की अनुलब्धता पर वैकल्पिक व्यवस्था करना।

Singnature of Bidder/Contractor

With Seal

ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE, AMROHA

Tender Performa

(To be filled by the Bidder/Contractor)

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO THE BIDDER/CONTRACTORS:

This Performa should be duly filled by the Bidder/Contractor. Replies should be complete without any ambiguity and should be clearly written against each item, Terms such as "Covering Letter" etc. shall not be acceptable. However, you can attach extra sheets if the space left is not sufficient.

General:-

1. Specification number against which you have tendered
2. Amount with UTR No. & date by which cost of tender specification was transferred by you in office bank current a/c no 88212200020492.
3. Have you deposited Earnest Money?
4. Do you agree to all the conditions of Tender form?
5. Do you confirm that there is no typographical errors/commission in your Tender and all other document forming part of the Tender?
6. What is the validity period of your Tender Rate?
7. G.S.T. Number.
8. Permanent account number.(PAN).
9. Current a/c number with name of the bank.

**Signature of the Bidder/Contractor
(With seal)**

Address.....
.....
.....
.....

Place.....
.....
.....

Date:-

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

These Specific conditioned shall be read and constructed along with annexed conditioned to the contract Form “A” modified by the provisions here of, but if there is any conflict or consistency between the provisions there of and those contained in the General conditions of the Form “A”. The provisions contained in these special condions shall prevail.

1. The work Shall be executed by the contractor under the supervisions of Concerning Executive Engineer and Sub Divisional Officer.
2. The price are firm and no any other charges shall be paid extra to the contractor.
3. **Rates:-** The rates are to be mentioned in the schedule of quantities and no variation there on shall be allowed in any case.
4. **Penalty:-** ½% penalty per week, subject to maximum of 10% on the total face value of the agreement.
5. **Rejection of defective Works:-** Any defective/inferior quality of work not confirming to specifications, shall have to be redone by the contractor free of cost to the satisfaction of the Engineer-in-charge of the work.
6. **Earnest Money:-** Each tender must be accompanied by the Earnest money in the form of RTGS/NEFT of a scheduled Bank duly pledged in favor of Superintending Engineer, Electricity Distribution Circle, Amroha. The earnest money will be refunded in the event of tender being rejected or after completion of work. No tender shall be entertained without earnest money. Cheque will not be accepted against earnest money in any case.
7. **Taxes:-** All taxes shall be paid extra as applicable.
8. **Award of Contract:-**The Engineer of the contract is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right of accepting the whole or any part of tender without assigning any reason what-so-ever.
9. **Payment:-** Payment shall be made by cheque or RTGS/NEFT, on availability of Fund for the work.
10. **The security** as deposited by the contractor will be refunded after 6 months of completion of work or it may be kept for longer time/period if considered necessary by the Engineer-in-charge.
11. **In** the event of any accident/casualty during the course of execution, compensation shall be borne by the contractor.
12. **Other General** Terms and conditions shall be governed as per Form “A & B” which is enclosed.
13. **Any other** taxes, stamps duties if required from time to time shall have to be paid by the contractor.
14. **Compelction of work:-**Shall be 12 Months from 01-04-2024 to 31-03-2025 (Financial Year 2024-25) .
15. **Face** value of the agreement mentioned in schedule may vary plus-minus 10% as per applicable on work.

Your faithfully

Signature of the authorized Signatory
(With Complete address & Seal)

ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE AMROHA

E-TENDER No.58/2023-24

PRE QUALIFYING CONDITIONS

S.No.	Conditions	Enclose Yes/No	Details
1	निविदा शुल्क रू0 3540.00		
2	धरोहर राशि रू0 10600.00		
3	जी0एस0टी0 द्वारा जारी फर्म का पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।		
4	फर्म के स्वामी का पैन कार्ड।		
5	फर्म के स्वामी का आधार कार्ड।		
6	वाहन के पंजीकरण (आर0सी0) सुस्पष्ट प्रति।		
7	वाहन के इशोयेरेन्स की वैध व सुस्पष्ट प्रति।		
8	निविदाकार को (अन्य व्यक्ति के नाम वाहन होने पर) नोटरी से सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि वाहन मालिक अपने वाहन को किराये पर विद्युत विभाग के प्रयोगार्थ हेतु एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए दिये जाने हेतु उसे कोई आपत्ति नहीं है।		
9	चालक के वैध लाइसेन्स की सुस्पष्ट प्रति।		

नोट:-

1. निविदा में संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रति स्पष्ट होनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। जिसके लिए ठेकेदार/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
2. निविदा में जिस वाहन के अभिलेख संलग्न किये जायेंगे, वही वाहन सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में वाहन का भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसको सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे साथ ही इस वाहन के अभिलेखों पर अन्य निविदा/इकाई में प्रतिभाग करने पर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।
3. समस्त निविदाकारों को निविदा के भाग प्रथम में उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र अपलोड करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनकी निविदा का द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा।
4. प्रबन्ध निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्री-क्वालीफाईड शर्तों में तकनीकी एवं प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता/जाली पाये जाते हैं तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध निगम नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क व धरोहर राशि मण्डल के खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से पृथक-पृथक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है तथा उक्त का साक्ष्य निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना भी आवश्यक है।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
7. जी0एस0टी0 विभाग द्वारा अलग से देय होगी।

Signature of the Tenderer/Contractor with seal

अन्य नियम व शर्तें:-

1. वाहन का मॉडल तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2021 से पूर्व का न हो ।
2. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी। चालक की नाईट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर ले कि वाहन चालक को उचित मानदेय उपलब्ध हो जाये ।
3. वाहन में डीजल विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। वाहन से सम्बन्धित अन्य वस्तुएँ जैसे मोबिल ऑयल, ब्रेक ऑयल, वाहन की सर्विस एवं चालक की रात्रिकालीन शिफ्ट का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. यदि वाहन किसी समय खराब हो जाता है तो ठेकेदार को दूसरे वाहन की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
5. वाहन उपलब्ध न होने अथवा खराब होने पर दूसरे वाहन का प्रबन्ध दो घंटे से अधिक अवधि में होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को वाहन स्वामी द्वारा बताए गए कारण से संतुष्ट न होने की दशा में एक दिन का किराया बिल में से काट लिया जाएगा।
6. वाहन की दरें प्रतिदिन के हिसाब से कम से कम एक माह के लिए होनी चाहिए।
7. मार्ग कर तथा वाहन के बीमा का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।
8. अनुबन्ध की अवधि में किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
9. वाहन चालक का वेतन एवं अन्य भत्ते आदि को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
10. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना अति आवश्यक है।
11. वाहन स्वामी अपना बिल अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे जिसका मासिक भुगतान ई0आर0पी0 के माध्यम से फण्ड की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
12. वाहन खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि वह दूसरा वाहन 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रुपये 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनान्टी (जिस अवधि में गाडी उपलब्ध नहीं होगी)फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा ।
13. चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी तथा चालक के अनुपस्थित होने की स्थिति में ठेकेदार का दायित्व होगा कि दूसरा चालक 2 घण्टे के अंदर उपलब्ध करायेगा ,अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार पर रुपये 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में चालक उपलब्ध नहीं होगा) ठेकेदार के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा ।
14. वाहन में फास्ट टैग एक्टिवेट सहित वाहन पर चस्पा होना आवश्यक है,टोल टैक्स विभाग द्वारा देय होगा ।
15. वाहन से किसी भी असुविधा होने पर अनुबन्ध को प्रथम नोटिस पर भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये अनुबन्धकर्ता किसी प्रकार की न्याययिक कार्यवाही नहीं करेगा।
16. वाहन का ईंधन खपत औसतन 12.50 कि0मी0 प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिये।

Superintending Engineer